201/12.00

संख्या– /2017/xxvii-8/6(120)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

आयुक्त, राज्य कर
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–8

देहरादून दिनांक: 29 सितम्बर, 2017

विषयः– माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) में मनोरंजन कर समाहित हो जाने के फलस्वरूप मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड के कार्मिकों का संविलियन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 650/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/स्थापना–अनु0/2017–18/ देहरादून दिनांक 08.5.2017 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.7.2017 से जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मनोरंजन कर समाहित हो जाने तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं संदर्भित अधिनियम के अंतर्गत समय–समय पर प्रख्यापित नियमावलियां व उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के निरसित हो जाने के फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरान्त मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.7.2017 से, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में निम्नवत् संविलियन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.सं.	मनोरंजन कर विभाग के पद	राज्य कर विभाग, जिसमें मर्जर किया गया है	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	
1.	डिप्टी कमिश्नर	उपायुक्त राज्य कर	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–11 (पूर्व वेतनमान 15600–39100, ग्रेड वेतन 6600)	कार्यरत 01 डिप्टी कमिश्नर को पद सहित मर्ज किया जाता है।
2..	असिस्टेंट कमिश्नर	सहायक आयुक्त राज्य कर	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–10(पूर्व वेतनमान 15600–39100, ग्रेड वेतन 5400)	कार्यरत 02 अस्सिटैंट कमिश्नर को पद सहित मर्ज किया जाता है।
3.	जिला मनोरंजन कर अधिकारी	राज्य कर अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स,लेवल–07(पूर्व वेतनमान 9300–34800, ग्रेड वेतन 4600)	कार्यरत 02 कार्मिकों को कुल स्वीकृत 09 पदों सहित (09 पद) मर्ज किया जाता है।
4.	निरीक्षक, श्रेणी–1	राज्य कर निरीक्षक, श्रेणी–1	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–06(पूर्व वेतनमान 9300–34800, ग्रेड वेतन 4200)	समस्त कार्यरत 12 कार्मिकों को पद सहित मर्ज किया जाता है।
5.	निरीक्षक, श्रेणी–2	राज्य कर निरीक्षक, श्रेणी–2	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–05(पूर्व वेतनमान 5200–20200, ग्रेड वेतन 2800)	कुल कार्यरत 10 कार्मिकों को पद सहित (10 पद) मर्ज किया जाता है।
6.	वरिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–05(पूर्व वेतनमान 5200–20200, ग्रेड वेतन 2800)	कार्यरत 01 कार्मिक को पद सहित मर्ज किया जाता है।

Letter section/

7.	कनिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–03(पूर्व वेतनमान 5200–20200, ग्रेड वेतन 2000)	कार्यरत 09 कार्मिकों को कुल स्वीकृत 14 पदों सहित मर्ज किया जाता है।
8.	वाहन चालक	वाहन चालक	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–03(पूर्व वेतनमान 5200–20200, ग्रेड वेतन 2000)	कुल स्वीकृत 01 पद मर्ज किया जाता है।
9.	अनुसेवक	अनुसेवक	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–01(पूर्व वेतनमान 5200–20200, ग्रेड वेतन 1800)	कार्यरत 01 कार्मिक को कुल स्वीकृत 16 पदों सहित मर्ज किया जाता है।
10.	स्वीपर/चौकीदार	स्वीपर/चौकीदार	वेतन मैट्रिक्स, लेवल–01(पूर्व वेतनमान 5200–20200, ग्रेड वेतन 1800)	कुल स्वीकृत 01 पद मर्ज किया जाता है।

3. राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में मृत संवर्ग के रूप में "निरीक्षक संवर्ग" का गठन करते हुए उक्त संवर्ग में मनोरंजन कर विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निरीक्षक श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा तथा उक्त संवर्ग में श्रेणी–2 के पदों पर कोई नई भर्ती/पदोन्नति नहीं की जायेगी।

4. राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में मनोरंजन कर विभाग से संविलियन किये गये जिला मनोरंजन कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी) के कुल 09 पदों को निरीक्षक संवर्ग से पदोन्नति हेतु केवल तब तक के लिये आरक्षित रखा जायेगा, जब तक कि निरीक्षक संवर्ग के समस्त कार्मिकों की पदोन्नति न हो जाये।

5. संविलियन किये गये उक्त कार्मिकों एवं राज्य कर विभाग के कार्मिकों की परस्पर ज्येष्ठता संबंधित संवर्गों की संविलियन नियमावलियों (संलग्न) के संगत प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

6. संविलियित कार्मिकों की पूर्व सेवाओं की गणना सेवा सम्बन्धी समस्त लाभों के लिये की जायेगी।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या–748(1)/2017/xxvii-8/6(120)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद् अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र सं0 4/2/XII/XXI/2017/सी0एक्स0, दिनांक 24.8.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

Letter section/

202
12.00

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या–741/2017/XXVII(8)/7(100)/2017
देहरादून :: दिनांक 19 सितम्बर,2017

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक आयुक्त का राज्य कर विभाग के अंतर्गत सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में संविलियन किये जाने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग (राजपत्रित) सेवा संवर्ग का राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग (राजपत्रित) सेवा संवर्ग का राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017" है।

(2) यह दिनांक 01.7.2017 से प्रभावी होगी।

(3) यह नियमावली राजपत्रित अधिकारी संवर्ग से सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी ।

अध्यारोही प्रभाव

2. उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(2) "सेवा नियमावली" से राज्य कर विभाग के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्गीय पदों को शासित करने वाली सेवा नियमावली अभिप्रेत है;

(3) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तद्र्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय् विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(4) "संवर्ग" से उन सभी पदों के समूह अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के प्रख्यापन के समय राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग तथा मनोरंजन कर विभाग के राजपत्रित संवर्ग (उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त) में उपलब्ध हैं;

(5) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

संविलियन हेतु पात्रता/ शर्तों का निर्धारण

4.(1) नियुक्ति प्राधिकारी मनोरंजन कर विभाग, राजपत्रित सेवा संवर्ग में उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग में समकक्ष उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त के पदों पर संविलियन आदेश द्वारा करेंगे ।

(2) समकक्ष सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में संविलियन हेतु वही कार्मिक पात्र होंगे, जो मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड राजपत्रित संवर्ग(उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त) में अपने पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

(3) कार्मिकों का जिस पद पर संविलियन होगा, उस पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि वही होगी, जो मनोरंजन कर राजपत्रित संवर्ग के समकक्ष वेतनमान के पद पर थी।

(4) मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग से इस नियमावली के अधीन संविलियन किये गये कार्मिक का पदनाम संविलियन की तिथि से सहायक आयुक्त राज्य कर/उपायुक्त राज्य कर समझा जायेगा। ऐसी तिथि के पश्चात् संबंधित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग सेवा नियमावली के अंतर्गत व्यवहृत होंगे।

(5) संविलियन के फलस्वरूप संविलियन किये गये कार्मिक को "उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली,2016" के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक समझा जायेगा तथा भविष्य में उसकी सेवायें संगत सेवा नियमावली से शासित होंगी।

(6) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व में अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश की गणना राज्य कर विभाग के अंतर्गत अर्जित अवकाश के साथ आंकलित किया जायेगा।

(7) उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त राज्य कर के पद पर किया गया संविलियन सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग के अधीन की गयी नियुक्तियां समझी जायेंगी ।

ज्येष्ठता निर्धारण

5. मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग के संविलियन किये जा रहे कार्मिकों की मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि को उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त राज्य कर संवर्ग में परस्पर ज्येष्ठता निर्धारण का आधार माना जायेगा। सहायक आयुक्त, राज्य कर संवर्ग में तदनुसार ही उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या–743 / 2017 / XXVII(8) / 7(100) / 2017
देहरादून :: दिनांक 19 सितम्बर,2017

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत जिला मनोरंजन कर अधिकारियों का राज्य कर अधिकारी संवर्ग में संविलियन किये जाने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड जिला मनोरंजन कर अधिकारी संवर्ग का राज्य कर अधिकारी संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम " उत्तराखण्ड जिला मनोरंजन कर अधिकारी संवर्ग का राज्य कर अधिकारी संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017" है ।

(2) यह दिनांक 01.7.2017 से प्रभावी होगी ।

(3) यह नियमावली जिला मनोरंजन कर अधिकारी संवर्ग से राज्य कर अधिकारी संवर्ग के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी ।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली प्रभावी होगी ।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य कर विभाग में राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) "सेवा नियमावली" से राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी की सेवायें विनियमित करने वाली सेवा नियमावली अभिप्रेत है;

(3) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय् विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(4) "संवर्ग" से उन सभी पदों के समूह अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के प्रख्यापन के समय राज्य कर विभाग के राज्य कर अधिकारी संवर्ग तथा मनोरंजन कर विभाग के राजपत्रित संवर्ग (जिला मनोरंजन कर अधिकारी) में उपलब्ध हैं;

(5) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

संविलियन हेतु पात्रता/ सेवा का निर्धारण

4.(1) नियुक्ति प्राधिकारी मनोरंजन कर विभाग, राजपत्रित सेवा संवर्ग में जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का राज्य कर अधिकारी सेवा संवर्ग में समकक्ष राज्य कर अधिकारी के पदों पर संविलियन आदेश द्वारा करेंगे।

(2) समकक्ष राज्य कर अधिकारी के संवर्ग में संविलियन हेतु वही कार्मिक पात्र होंगे, जो मनोरंजन कर विभाग में जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पद पर नियमानुसार मौलिक रूप से नियुक्त हो ।

(3) कार्मिकों का जिस पद पर संविलियन होगा, उस पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि वही होगी, जो मनोरंजन कर राजपत्रित संवर्ग के समकक्ष वेतनमान के पद पर थी।

(4) मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग से इस नियमावली के अधीन संविलियन किये जाने वाले कार्मिकों का पदनाम संविलियन की तिथि से राज्य कर अधिकारी समझा जायेगा । ऐसी तिथि के पश्चात् संबंधित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले राज्य कर अधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली के अंतर्गत व्यवहृत होंगे।

(5) संविलियन के फलस्वरूप संविलियन किये गये कार्मिक को "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली,2009" के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक समझा जायेगा तथा भविष्य में उसकी सेवायें संगत सेवा नियमावली से शासित होंगी।

(6) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व में अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश की गणना राज्य कर विभाग के अंतर्गत अर्जित अवकाश के साथ आंकलित किया जायेगा ।

(7) राज्य कर अधिकारी के पद पर किया गया संविलियन राज्य कर अधिकारी संवर्ग के अधीन की गयी नियुक्तियां समझी जायेंगी ।

ज्येष्ठता निर्धारण

5. मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग के संविलियन किये जा रहे कार्मिकों की मनोरंजन कर विभाग राजपत्रित संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि को संबंधित संवर्ग में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता निर्धारण का आधार माना जायेगा। राज्य कर अधिकारी संवर्ग में तद्नुसार ही उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या– 744 /2017/XXVII(8)/7(100)/2017
देहरादून :: दिनांक 19 सितम्बर ,2017

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निरीक्षकों का राज्य कर विभाग में संविलियन किये जाने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग के निरीक्षक संवर्ग का राज्य कर विभाग में संविलियन नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग के निरीक्षक संवर्ग का राज्य कर विभाग में संविलियन नियमावली, 2017" है।

(2) यह दिनांक 01.7.2017 से प्रभावी होगी।

(3) यह नियमावली राज्य कर निरीक्षक संवर्ग के पदों पर संविलियन के लिये लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य कर विभाग में राज्य कर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) "सेवा नियमावली" से राज्य कर विभाग के अन्तर्गत निरीक्षक संवर्गीय पदों को शासित करने वाली सेवा नियमावली अभिप्रेत है;

(3) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तद्र्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय् विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(4) "संवर्ग" से उन सभी पदों के समूह अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के प्रख्यापन के समय मनोरंजन कर विभाग के निरीक्षक संवर्ग (मनोरंजन कर निरीक्षक श्रेणी–1 एवं मनोरंजन कर निरीक्षक श्रेणी–2) में उपलब्ध हैं;

(5) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है ;

संविलियन हेतु पात्रता/
सेवा का निर्धारण

4(1) राज्य सरकार, मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत निरीक्षक संवर्ग के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का संविलियन, राज्य कर विभाग में राज्य कर निरीक्षक संवर्ग सृजित करते हुए, संविलियन आदेश द्वारा करेंगे।

(2) राज्य कर निरीक्षक के संवर्ग में संविलियन हेतु वही कार्मिक पात्र होगा, जो मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में मनोरंजन कर निरीक्षक के पद पर नियमानुसार मौलिक रूप से नियुक्त हो।

(3) कार्मिकों का जिस पद पर संविलियन होगा, उस पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति वही होगी, जो मनोरंजन कर निरीक्षक संवर्ग के समकक्ष वेतनमान के पद पर थी।

(4) मनोरंजन कर विभाग निरीक्षक संवर्ग से इस नियमावली के अधीन संविलियन किये जाने वाले कार्मिक का पदनाम संविलियन की तिथि से राज्य कर निरीक्षक श्रेणी–1 तथा राज्य कर निरीक्षक श्रेणी–2 माना जायेगा । ऐसी तिथि के पश्चात् संबंधित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले राज्य कर निरीक्षक संवर्ग सेवा नियमावली के अंतर्गत व्यवहृत होंगे।

(5) संविलियन के फलस्वरूप संविलियन किये गये कार्मिक को राज्य कर विभाग के अधीन नियुक्त कार्मिक समझा जायेगा तथा भविष्य में उसकी सेवायें संगत सेवा नियमावली से शासित होंगी।

(6) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व में अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश की गणना राज्य कर विभाग के अंतर्गत अर्जित अवकाश के साथ आंकलित किया जायेगा।

(7) राज्य कर निरीक्षक के पद पर किया गया संविलियन राज्य कर निरीक्षक संवर्ग के अधीन की गयी नियुक्तियां समझी जायेंगी ।

ज्येष्ठता निर्धारण

5. मनोरंजन कर विभाग निरीक्षक संवर्ग के संविलियन किये जा रहे कार्मिक की नवीन संवर्ग में ज्येष्ठता वहीं होगी, जो कि मनोरंजन कर विभाग में थी ।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या–745/2017/XXVII(8)/7(100)/2017
देहरादून::दिनांक 19 सितम्बर ,2017

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत लिपिकों का राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग में संविलियन किये जाने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग का राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग का राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग में संविलियन नियमावली, 2017" है ।

(2) यह दिनांक 01.7.2017 से प्रभावी होगी ।

(3) यह नियमावली लिपिक संवर्ग के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(1) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(2) "सेवा नियमावली" से राज्य कर विभाग के अन्तर्गत लिपिक संवर्गीय पदों को शासित करने वाली सेवा नियमावली अभिप्रेत है;

(3) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तद्र्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(4) "संवर्ग" से उन सभी पदों के समूह अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के प्रख्यापन के समय राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग तथा मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड के लिपिक संवर्ग (वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक) में उपलब्ध हैं;

(5) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

संविलियन हेतु पात्रता सेवा का निर्धारण

4.(1) राज्य सरकार, मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का संविलियन, राज्य कर विभाग के समकक्ष लिपिक संवर्ग में संविलियन, आदेश द्वारा करेंगे।

(2) समकक्ष लिपिक संवर्ग में संविलियन हेतु वही कार्मिक पात्र होंगे, जो मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में लिपिक संवर्ग के पद पर नियमानुसार मौलिक रूप से नियुक्त हो ।

(3) कार्मिकों का जिस पद पर संविलियन होगा, उस पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति वही होगी, जो मनोरंजन कर लिपिक संवर्ग के समकक्ष वेतनमान के पद पर थी।

(4) मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग से इस नियमावली के अधीन संविलियन किये गये कार्मिकों की ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले संगत लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली के अंतर्गत व्यवहृत होंगे।

(5) संविलियन के फलस्वरूप संविलियन किये गये कार्मिक को राज्य कर विभाग के अधीन नियुक्त कार्मिक समझा जायेगा तथा भविष्य में उसकी सेवायें संगत सेवा नियमावली से शासित होंगी।

(6) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व में अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश की गणना राज्य कर विभाग के अंतर्गत अर्जित अवकाश के साथ आंकलित किया जायेगा।

(7) लिपिक संवर्ग के उक्त पदों पर किया गया संविलियन राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग के अधीन की गयी नियुक्तियां समझी जायेंगी ।

ज्येष्ठता निर्धारण

5. मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग के संविलियन किये जा रहे कार्मिकों की मनोरंजन कर विभाग लिपिक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि को संबंधित संवर्ग में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता निर्धारण का आधार माना जायेगा। राज्य कर विभाग के लिपिक संवर्ग में उक्तानुसार पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव ।